



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54797

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8866 वर्ष 2026

अमन

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुशील कुमार पाण्डेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

(150 में से क्रम संख्या 3)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची पुनरावृत्त की गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पाण्डेय, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक, थाना साइबर क्राइम, जिला मुजफ्फरनगर में पंजीकृत केस क्राइम संख्या 20 वर्ष 2025, धारा 3(5), 318(4), 336(3), 340(2), 338 बी.एन.एस. और 66ग एवं 66घ आई.टी. अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना कर रहा है।
4. यह आवेदक की ओर से दायर दूसरा जमानत आवेदन है। पहला जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 28186 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 15.9.2025 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। वह गुण-दोष के आधार पर

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खारिज नहीं किया गया था, बल्कि इस आधार पर किया गया था कि आवेदक के आपराधिक इतिहास को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया था। निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"1. सूची पुनरावृत्त की गई है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आदिल जमाल, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परिशीलन किया गया।

3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा केस क्राइम संख्या 20 वर्ष 2025, धारा 3(5), 318(4), 336(3), 340(2), 338 बी.एन.एस. और धारा 66ग एवं 66घ आई.टी. अधिनियम, थाना साइबर क्राइम, जिला मुजफ्फरनगर में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोप स्वतः ही असत्य हैं। जो भी आरोप हैं, वे सह-अभियुक्त अहमद नवाज के विरुद्ध हैं। आवेदक को सौंपे गए दो मामलों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदक 14.06.2025 से जेल में है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि आवेदक के नाम दो मामलों का आपराधिक इतिहास है और इसे उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। पूरक शपथ पत्र के साथ केवल प्राथमिकी संलग्न की गई है।

6. खंडन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि दूसरे मामले को भी स्पष्ट माना जाए क्योंकि पश्चिम बंगाल में दायर उक्त परिवाद मामले में आवेदक नामजद नहीं है। आवेदक को अभी उक्त मामले में जमानत के लिए आवेदन करना है। केस क्राइम

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 348 वर्ष 2021, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में आवेदक नामजद नहीं है।

7. उच्चतम न्यायालय ने मुन्नेष बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 1400/2025 में निर्देश दिया है कि नियमित जमानत या अग्रिम जमानत चाहने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए अपने आपराधिक इतिहास का खुलासा करना अनिवार्य है। आपराधिक इतिहास का खुलासा न करना अपने आप में जमानत खारिज करने का आधार माना जा सकता है। न्यायालय ने निर्देशित किया:

"हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि अब से प्रत्येक व्यक्ति जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438/439 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482/483 के तहत प्रार्थनाओं को अस्वीकार करने वाले उच्च न्यायालयों/सत्र न्यायालयों के आदेशों को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) के साथ इस न्यायालय में आता है, उसे 'सार-संक्षेप' में अनिवार्य रूप से यह खुलासा करना होगा कि या या तो वह साफ-सुथरे आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति हो, या यदि उसे किसी भी आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता की जानकारी है, तो वह स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करे, साथ ही यह भी बताए कि उस मामले से जुड़ी कानूनी कार्यवाही किस चरण तक पहुँच चुकी है। यदि बाद में प्रकटीकरण गलत पाया जाता है, तो उसे स्वयं विशेष अनुमति याचिका की बर्खास्तगी के लिए आधार माना जा सकता है।"

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा केस क्राइम संख्या 348 वर्ष 2021, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के संबंध में कोई आदेश संलग्न नहीं किया गया है, मुझे यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता है। जमानत आवेदन में मेरिट का अभाव पाया जाता है और तदनुसार खारिज किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए जैसा कि उच्चतम न्यायालय के हालिया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्णयों विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702 के मामलों में निर्धारित किया गया है, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

5. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक पर जालसाजी करने और सामान की अधिक कीमत वसूल कर कई उपभोक्ताओं के पैसे हड़पने का आरोप है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक सामान का अधिकृत विक्रेता है और उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक के नाम दो मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदक 14.6.2025 से जेल में है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतीकरण का खंडन नहीं किया जा सका।

9. उच्चतम न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** में यह अवधारित किया है कि एक अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा उसका जमानत का मामला बनता है।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक सामान का अधिकृत विक्रेता है और उक्त आरोपों के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, तथा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बना लिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. उपर्युक्त केस क्राइम में शामिल आवेदक- **अमन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

12. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के संबंध में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

18 मार्च, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।